ANNUAL REPORT 2012-13

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी.की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)

Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

निदेशक मंडल
Board of Directors

Shri Vivek Rae
Chairman

Shri Rajive Kumar
Director

Dr. Subhas Chandra Khuntia
Director

Shri L. N. Gupta
Director Incharge

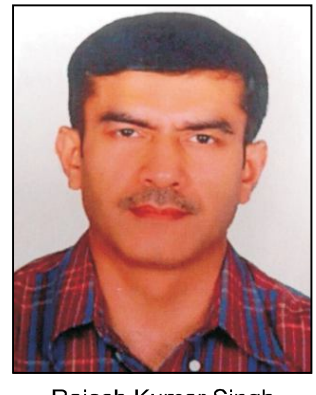

Rajesh Kumar Singh
Director

विषय सूची
CONTENTS

1.	निदेशक मंडल	2
	Board of Directors	**35**
2.	निदेशक रिपोर्ट	4
	Directors' Report	**37**
3.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	12
	Auditors' Report	**44**
4.	वार्षिक लेखे 2012-13	16
	Annual Accounts 2012-13	**48**
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	34
	Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	**66**

निदेशक मंडल

दिनांक 18, नवम्बर, 2013 को

श्री विवेक रे	अध्यक्ष	08 फरवरी, 2013 से
श्री राजीव कुमार	निदेशक	17 जून, 2013 से
डा0 सुभाष चन्द्र खुंटिआ	निदेशक	09 अगस्त, 2012 से
श्री एल. एन. गुप्ता	निदेशक	17 जून, 2013 से
श्री आर. के. सिंह	निदेशक	15 जुलाई, 2013 से

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री राजन के. पिल्लै

कंपनी सचिव
श्रीमती भव्या गुप्ता

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स जे डी ए एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
904 एण्ड 906, शाहपुरी तीर्थ सिंह टॉवर, सी – 58,
कम्युनिटि सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058

बैंकर्स

कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा– 201301, उ. प्र.
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय :
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891-2574059, फैक्स : 0891-2573503

मंगलौर परियोजना कार्यालय :
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मंगलौर–574 509
फोन : 0824-3006100, फैक्स : 0824-3006111

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106
कर्नाटक
फोन : 0820-2576683, फैक्स : 0820-2576629

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित, सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

कंपनी

आपकी कंपनी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी), भारत सरकार द्वारा संस्थापित एक सांविधिक निकाय, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। दिनांक 31 मार्च, 2013 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 रूपये प्रत्येक के 2,39,70,00,000 (दो सौ उन्नतालीस करोड़ एवं सत्तर लाख) इक्विटी शेयरों को मिलाकर रूपये 2,397 (दो हज़ार तीन सौ सत्तानवै) करोड़ थी और कंपनी की प्रद्धत्त शेयर पूंजी 10 रूपये प्रत्येक के 1,96,92,68,020 (एक सौ छयानवै करोड़ बानवै लाख अडसठ हज़ार बीस करोड़) इक्विटी शेयरों को मिलाकर रूपये 19,69,26,80,200 (एक हज़ार नौ सौ उनहत्तर करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हज़ार दौ सौ) थी, [इक्वटी शेयर पूंजी के प्रति रूपये 374.21 करोड़ (रूपये तीन सौ चौहत्तर करोड़ ईक्कीस लाख) अग्रिमों को छोड़कर, आंबटन प्रलंबित]।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- कच्चे पदार्थ का स्वामित्व और अपने तेल की सूची पर नियंत्रण करना और उसके रिलीज़ का समन्वय एवं स्टॉक का प्रतिस्थापन निम्नलिखित के अधीन व अनुपालन में करना :

  क) इन्वेंट्री खरीद और पुनः पूर्ति सरकार द्वारा गठित एक सशक्त समिति के माध्यम से किया जाएगा;

  ख) भंडारण से स्टॉक केवल सरकार के विशेष निर्देशों से ही निकाला जाऐगा सिवाय गुणवत्ता की आवश्यकता और मरम्मत और रख रखाव के लिए किए जाने वाले कच्चे तेल के संचार को छोड़कर। रिफाइनरियों को कच्चा तेल लागत मूल्य से कम मूल्य पर नहीं दिया जाएगा ।

- भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवालों, गोदाममालिकों, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव्स, मिश्रणों, तैयारियों और उसके उत्पादों संबंधी व्यवसायों को संपादित करना है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आपकी कंपनी के वित्तीय नतीजों की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शायी गई हैं :

क्र.सं.	विवरण	रूपयों में आंकड़े		तुलन पत्र के लिए संदर्भ
(क)	1 अप्रैल 2012 को कार्य में प्रगति का प्रारंभिक शेष		14,88,03,33,737	**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2012 का अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान पूर्व प्रचालन व्यय		8,03,23,06,067	**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2013 के अंतिम शेष और 31.03.2012 के अंतिम शेष के बीच अंतर
(ग)	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		(21,15,558)	**नोट 9 ए -** वर्ष के दौरान निवल वृद्धि
(घ)	निवल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां {(I)- (ii)}		(6,50,46,550)	
	(i) गैर मौजूदा परिसंपत्तिया (दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम)	40,11,46,045		**नोट 10**
	(ii) गैर - मौजूदा देयताएं	46,61,92,595		**नोट 5**
(ङ)	निवल मौजूदा परिसंपत्तियां {(i)- (ii)}		(96,93,66,649)	
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	52,95,54,843		**तुलन पत्र -** वर्तमान परिसंपत्तियां
	(ii) वर्तमान देयताएं	1,49,89,21,492		**तुलन पत्र -** वर्तमान देयताएं
(च)	संचित हानि		(20,52,49,747)	**नोट 4 -** भंडार और अधिशेष
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)			**21,67,08,61,300**	

कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी को 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडारण की स्थापना करने का आदेश हुआ है (इसमे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सहभाजित होने वाली 0.30 एम.एम.टी. भी शामिल है)। कार्यनीतिक रिज़र्वस के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सितंबर 2005 के मूल्यानुसार कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत मूल रूप से 2,397 करोड़ रुपये आंकी गई थी। विशाखापट्टनम का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) का अनुमोदन जून, 2011 में प्राप्त कर लिया था। मंगलौर और पादुर के लिए आरसीई का अनुमोदन नवम्बर, 2013 में प्राप्त कर लिया गया है। तीनों स्थलों की आरसीई इस प्रकार है : विशाखापट्टनम – रूपये 1,038 करोड़, मंगलौर – रूपये 1,227 करोड़ और पादुर – रूपये 1,693 करोड़। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में लिए गए निर्णय के अनुसार, अपेक्षित पूंजीगत लागत ओआईडीबी के पास मौजूदा धन में से पूरी की जाएगी। स्ट्रेटेजिक भंडारणों के संचालन और रखरखाव की लागत ओईडीबी के धन राशि से पूरी की जाएगी। भारत सरकार के योजना आयोग ने कच्चा तेल भरने के लिए रूपये 4,948 करोड़ बाहरवीं पंच वर्षीय योजना 2012–17 में आवंटित किये हैं।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अनेक कदम उठाए हैं और परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहाकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना के लिए आवश्यक 67 एकड़ भूमि में से 37 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष 30 एकड़ भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार ने इसका अनुमोदन दे दिया है।

भूमिगत कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शटन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2013 तक 18.9 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका था। भूतल से ऊपर की भूमि से संबंधित कार्य मैसर्ज आईओटीआईईएसएल द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2013 तक क्रूड़ सबमर्सिबिल पंप एवं सीपेज वाटर पंप आदि जैसे प्रमुख संवेदनशील मद कैवर्न बी की शाफ्ट में सीपित कर दिए गए थे। प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और कब्ज़ा कर लिया है। कंट्रोल रूम और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का कार्य पूरा होने को है। बॉयलर एवं नाइट्रोजन टैंक खड़े कर दिए गए हैं। पाइप रैक खड़े किए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च, 2013 को परियोजना की कुल प्रगति 92 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2011 में कैवर्न ए 1 में एक चट्टान की पहाड़ी गिरने की घटना से कार्य के पूरा करने के शडयूल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मैकेनिकल कम्पलीशन की प्रत्याशित तिथि कैवर्न ए1 की खुदाई पूरी होने पर निर्भर करेगी। तब कैवर्न ए 1 को प्रक्रिया सुविधाओं के पूरा होने के लिए भूमि के ऊपरी कार्य को करने वाले ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा। मैकेनिकल कम्पलीशन और प्री–कमीशनिंग गतिविधीयों की कम्पलीशन की प्रत्याशित तिथि जून, 2014 है।

विशाखापट्टनम में भूमि से ऊपर की सुविधाओं का परिदृश्य

2. मंगलौर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया था। मंगलौर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मंगलौर एसईजैड क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 104.73 एकड़ भूमि मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहण कर ली गई है। वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्स एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 मार्च, 2013 तक 22.65 लाख क्यू. मीटर खुदाई कार्य में से कुल 20.28 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। सुरंग के 9.16 किलो मीटर के समस्त कार्य पूरे किए जा चुके थे। सभी शाफ्ट का कार्य पूरा

कर लिया गया था जिसकी यौगिक लंबाई 232.4 मीटर है। भूमि के ऊपरी कार्य मैसर्ज पुंज लायड को 329.979 करोड़ रूपये की लागत पर दिए गए थे। तथापि, परियोजना की समाप्ति, सभी खुदाई के कार्य एवं कैवर्न में फर्श बनाने और पाइपलाईन बिछाने जिसके लिए कार्य अभी दिया जाना है, पर निर्भर होगा। साइट ग्रेडिंग गतिविधियां और संयंत्र भवनों का निर्माण प्रगति पर है। 31.03.2013 तक परियोजना की कुल प्रगति 77.7 प्रतिशत रही। प्रोजेक्ट का मकैनिकल कम्पलिशन अक्टूबर 2014 में प्रत्याशित है।

एमएसईजैड के भीतर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) के सह–विकासक के रुप में मंगलौर परियोजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन 12 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गया था। आईएसपीआरएल ने एफटीडब्ल्यूजैड होने के परिणाम स्वरूप उपचयगत कर लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिया है।

मंगलौर स्थित चार कैवर्न गैलरियों में से एक का परिदृश्य

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया था। कर्नाटक सरकार से राज्य की उच्च स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी और उडूपी जिले के पादुर/हेरुरु गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कर ली है। पादुर में लगभग 182 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें से 138.57 एकड़ भूमि को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है और शेष भूमि के लिए, जो सरकारी जमीन है, दस्तावेज संसाधित किए जा रहे हैं।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया। भाग ए का कार्य मैसर्ज एचसीसी को 374.66 करोड़ रुपये में तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को 375.92 करोड़ रुपये में दिनांक 29.12.2009 को दिया गया था। चूंकि, 29.05.2010 को केआईएडीबी द्वारा भुमि आईएसपीआरएल को सौंपी गई और इसलिए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29.05.2010 मान ली गई। 31 मार्च, 2013 तक 36.65 लाख क्यू. मीटर खुदाई कार्य में से कुल 34.60 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया था और सुरंग के 13.45 किलो मीटर के समस्त कार्य पूरे किए जा चुके थे। भूमि के ऊपर कार्य मैसर्ज लिंडे इंजिनियरिंग को दिनांक 11.11.2011 को 354.25 करोड़ रूपये मूल्य पर दिया गया। प्रोजैक्ट का मैकेनिकल कंपलिशन अक्टूबर, 2014 में प्रत्याशित है। परियोजना की समाप्ति, फिलिंग के लिए पाइपलाईन बिछाने और कैवर्न की निकासी जिसके लिए कार्य अभी दिया जाना है, पर निर्भर होगा। 31.03.2013 तक परियोजना की कुल प्रगति 77.1 प्रतिशत रही।

मंगलौर–पादुर पाइपलाइन के प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, केआईएडीबी के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आर ओयू का अर्जन केआईडीबी द्वारा किया जा रहा है और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना जनवरी, 2011 में जारी कर दी गई है। आरओयू के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6(1) के अधीन, पूरे क्षेत्र के लिए (36 कि. मी.) उडूपी ज़िले के केवल एक गांव को छोड़कर, घोषणा जारी करने के लिए भेज दी गई है।

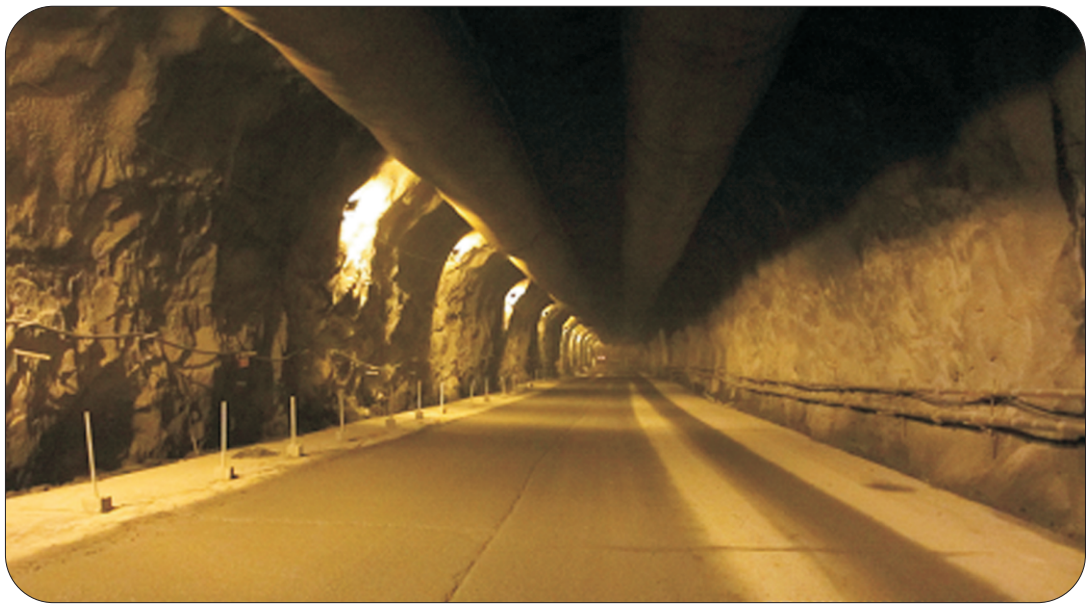

पादुर स्थित कैवर्न का परिदृश्य जो कैवर्न गैलरियों के लिए पहुंच प्रदान करता है

4. स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम का चरण – II

जुलाई, 2011 में स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण – II के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) की तैयारी का कार्य ईआईएल को दिया गया था। पूर्वसंभाव्यता स्तर के आधार पर चार साइटों का पता लगाया गया जो निम्न प्रकार है:

1. पादुर 5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
2. चंडीखोल 2.5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
3. बीकानेर 2.5 एमएमटी (सॉल्ट कैवर्नस)
4. राजकोट 2.5 एमएमटी (भूमिगत कन्क्रीट टैंकस)

स्ट्रेटेजिक भंड़ारणों के चरण 1 के अधीन तीन स्थलों पर भूमिगत रॉक कैवर्नस निर्माणाधीन हैं और ईआईएल के पास डीएफआर के साथ आगे बढ़ने के लिए और पादुर तथा चंडीखोल परियोजनाओं के आगे के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध है।

अन्य दो प्रौद्योगिकियों के लिए अर्थात साल्ट कैवर्नस और भूमिगत कंक्रीट टैंक्स, नई प्रौद्योगिकियां होने के नाते देश में अपेक्षित ज्ञान उपलब्ध नहीं है, अतः विदेशी बैक-अप सलाहकार की सेवांए आवश्यक हैं।

राजकोट में, कच्चे तेल का भंडारण डबल रोकथाम (Containment) सिद्धांत के अधीन भूमिगत कंक्रीट टैंकों में होगा जो देश में पहली बार कार्यान्वित होगा। हालांकि, इस तरह की तकनीक 6 एमएमटी कच्चे तेल हेतु साउथ अफ्रीका गणराज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है और पिछले 30 वर्षों से प्रचालित है, दो अन्य देशों अर्थात केवल ईरान और जापान में लागू है। अध्ययन के भाग के रूप में, मूल डिजाइन की समीक्षा और ईआईएल द्वारा तैयार की जाने वाली डीएफआर के लिए विदेशी बैक अप सलाहकार लगाना अपेक्षित होगा।

ईआईएल ने चारों साइटों के लिए डीएफआर प्रस्तुत कर दिए हैं। पादुर स्थित गांववासियों द्वारा प्रतिरोध करने पर डीएफआर की क्षमताओं को संशोधित किया गया था। स्थानों पर प्रस्तावित क्षमता निम्नानुसार है:

1. पादुर – 2.5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
2. चंडीखोल – 3.75 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
3. बीकानेर – 3.75 एमएमटी (साल्ट कैवर्नस)
4. राजकोट – 2.5 एमएमटी (भूमिगत कन्क्रीट टैंक्स)

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

जनता की जमाराशियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए के तहत कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्न तीन गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं :

1 श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, एमओपी एंड एनजी – अध्यक्ष

2 श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी – सदस्य

3 श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (आर), एमओपी एंड एनजी – सदस्य

समिति के सभी सदस्य संगत अनुभव रखते हैं। लेखा परीक्षा समिति का गठन और संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मैसर्ज जे डी ए एंड कं., चार्टर्ड एकाउटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है जिन्होने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन किए गए अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, सीएंडएजी को उसकी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो किसी टिप्पणी या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी अनुपूरक का कारण बने।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्ययोगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च

चूंकि कंपनी ने अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्ययोगिकी आमेलन से संबंधित प्रकाशन हेतु कोई सूचना नहीं है।

वर्ष के अधीन कंपनी को कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ है, तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान 353.65 लाख रूपये तक की विदेशी मुद्रा अपनी व्यापार गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं है जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हो।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में, यह एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है कि :

1. 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो;
3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है;
4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए हैं।

निदेशक मंडल

आपके निदेशक मंडल में वर्तमान में 5 अंश कालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) हैं जो इस प्रकार हैं:–

1	श्री विवेक रे, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी)	–	अध्यक्ष
2	श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, एमओपी एंड एनजी	–	निदेशक
3	डा. एस. सी. खुंटिआ, अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, (एमओपीएंडएनजी)	–	निदेशक
4	श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी	–	निदेशक प्रभारी
5	श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (आर), (एमओपीएंडएनजी)	–	निदेशक

1 अप्रैल, 2012 से कंपनी के निदेशकों में निम्नानुसार बदलाव हुआ है :

1) डॉ. एस. सी. खुंटिआ, निदेशक (09.08.2012 से नियुक्त)

2) श्री विवेक रे, अध्यक्ष (08.02.2013 से नियुक्त)

3) श्री एल. एन. गुप्ता, निदेशक (17.06.2013 से नियुक्त)

4) श्री राजीव कुमार, निदेशक (17.06.2013 से नियुक्त)

5) श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक (15.07.2013 से नियुक्त)

6) श्री जी. सी. चतुर्वेदी, अध्यक्ष (31.01.2013 तक रहे)

7) श्री अरूण कुमार, निदेशक–प्रभारी (28.02.2013 तक रहे)

8) श्री सुधीर भार्गव, निदेशक (03.06.2013 तक रहे)

9) श्री एल. एन. गुप्ता, निदेशक (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सयुंक्त सचिव (आर) की पदवी से मुक्त होने की वजह से 5 जून, 2013 तक रहे)

10) श्री वी.एल.वी.एस.एस.राव, निदेशक (07.03.2013 से 09.06.2013 तक नियुक्त)

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओआईडीबी को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0/–	**ह0/–**
(डा. एस. सी. खुंटिआ)	**(आर. के. सिंह)**
निदेशक	**निदेशक**
(डिन 05344972)	**(डिन 05193269)**

दिनांक : 18.11.2013
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों को

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखा परीक्षण किया। कंपनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा कार्य अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

भारत में प्रचलित मान्य लेखा मानकों के आधार पर हमने लेखा परीक्षा की। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि लेखा परीक्षा का विनियोजन व निष्पादन इस तरह से करें ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि वित्तीय ब्यौरे आर्थिक त्रुटि रहित हैं। लेखा परीक्षा का तात्पर्य जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में प्रभारित राशि तथा इसके खुलासे के संदर्भ में अपेक्षित प्रमाण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त विचार का उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 4 व 5 के उल्लिखित विषयों पर अपना वक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं।
2. उपरोक्त अनुलग्नक (1) में दिए गए अपने वक्तव्यों के संदर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–
   i. हम वे सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी ।
   ii. जैसाकि इन पुस्तिकाओं की जाँच से हमें प्रतीत हुआ, हमारे मत में कानून की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी की लेखा–पुस्तिकाएं रखी गई हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए उन शाखाओं से उचित व पर्याप्त विवरण प्राप्त कर लिया गया है जिनका हमने मुआयना नहीं किया था।
   iii. इस रिपोर्ट में प्रदत्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे का विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है।
   iv. हमारे विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्ति अधिकारियों (संदर्भ सं. 14.13) द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेखा मानक – 15 द्वारा अपेक्षित सेवा निवृति हितलाभ के अप्रावधान को छोड़कर, इस रिपोर्ट में प्रदत्त कंपनी का तुलन पत्र का विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में उल्लेखित मान्य लेखा नीतियों के अनुरूप है। अप्रावधान प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।
   v. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (जी) के तहत प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।
   vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों तथा उन पर की गई टिप्पणियों के साथ निम्न के अधीन :
      क) नोट संख्या 2.5 (i) व 14.15 (i) "स्वीप–इन–स्वीप–आउट" खाते पर अर्जित 56.78 लाख रूपये का ब्याज और 36.58 लाख रूपये का अस्थायी अग्रिम हमारी राय में एक गैर क्रियाशील आय है और प्रगतिशील कार्य की निर्माण लागत में समायोजित नहीं की जानी चाहिए जिसके कारण पूंजी डब्ल्यूआईपी इस हद तक कम बतायी जायेगी।

अधिनियम द्वारा मांगी गई सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतो के अनुरूप निष्पक्ष सही स्थिति और समुचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष को कंपनी के व्यापार के तुलन पत्र के बारे में;

(ख) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे के बारे में; और

(ग) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह हेतु नकद प्रवाह विवरणी के बारे में।

कृते जे डी ए एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफआरएनः 015377 एन

ह0/–
सी ए नितिन अग्रवाल
(साझेदार)
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितंबर, 2013

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित अनुलग्नक।

ऐसी जांचों के आधार पर जो भी हमने उचित समझा और हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

1. क) कंपनी ने अपनी स्थाई परिसंपत्तियों के संख्यात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण और प्रस्थिति दर्शाते अभिलेखों को सही ढंग से रखा हुआ है जिसे रजिस्टर में अद्यतन कर लिया है।

   ख) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के अंत में स्थाई परिसंपत्तियां प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित की गई हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी स्थाई परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता यथोचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई भी विसंगतियाँ देखने को नहीं मिली।

   ग) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटारा नहीं किया गया है।

2. पैरा (ii) कंपनी को लागू नहीं है।

3. क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

   ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं। आगे, भारत में सामान्यः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतो के अनुसार पूरे किए गए कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की हमारे परीक्षण के आधार पर, उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में निरंतर मिल रही किसी भी असफलता का ना तो हमें संयोगवश पता लगा, ना ही हमें सूचित किया गया।

5. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त धारा के अनुसरण में ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में दर्शाने की अवश्यकता हो।

6. कंपनी अधिनियम की धारा 58ए तथा 58 एए और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी ने सामान्य जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है ।

7. हमारी राय में, कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली है जिसे इसके आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप बनाने हेतु उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ।

8. भारत की केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पादों के लिए अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अधीन लागत रिकार्डों का रख–रखाव निर्धारित नहीं किया है।

9. क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा परीक्षित कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, हमारे विचार में, कंपनी उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्विवाद सांविधिक देय राशि, सामान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है जिसमें आयकर, स्रोत से कटौती, सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय राशि शामिल हैं। वर्ष समाप्ति के अनुमानों के संबंध में बाद के महीनों में टीडीएस का वास्वतिक भुगतान जमा किया है।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी के परीक्षित अभिलेखों के अनुसार, कंपनी में बिक्री कर, आयकर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई देय राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के तेहत जमा नहीं करवाया गया।

10. हमारे राय में, 31 मार्च, 2013 को कंपनी की संचित हानि निवल मूल्य (नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत से कम है। कंपनी द्वारा उस तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एवं तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि उठाई गई है।

11. कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी तरह का ऋण नहीं लिया है तथा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया है।

12. अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों के अलावा धरोहर के आधार पर ठेकेदारों को अस्थायी एवं अभिप्रेरण अग्रिम के रूप में ऋण तथा अग्रिम राशि प्रदान की है।

13. पैरा (xiii) कंपनी को लागू नहीं है।

14. हमारी राय में, कंपनी शेयरों, डिबंचरो, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं कर रही है।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय संस्थानों या बैंकों द्वारा किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी कंपनी ने नहीं दी है।

16. लेखा परीक्षा की प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

17. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और 31 मार्च, 2013 को कंपनी के तुलन पत्र के एक संपूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि पर लिया गया धन दीर्घावधि निवेश के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

18. हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए हुए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का प्राथमिकता के आधार पर कंपनी द्वारा आबंटन किया गया है। कंपनी, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है।

19. कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं और इसलिए डिबेंचर जारी करने के संबंध में धरोहर के सृजन के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता निर्गमन द्वारा कोई रकम नहीं उठाई है।

21. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करने और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं, कि वर्ष के दौरान, हमारे सामने कंपनी के विरूद्ध की गई या कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की कोई सूचना या खबर नहीं आई और न ही हमें प्रबंधन की ओर से इस तरह की सूचना दी गई है।

कृते जे डी ए एंड कंपनी

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफआरएनः 015377 एन

ह0/–
सी ए नितिन अग्रवाल
(साझेदार)
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितंबर, 2013

वार्षिक लेखे
2012-2013

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड
31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
इक्विटी एवं देनदारियां		**₹**	**₹**
शेयर धारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	3	19,692,680,200	14,509,975,830
(ख) भंडार और अधिशेष	4	(205,249,747)	(116,749,848)
		19,487,430,453	**14,393,225,982**
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	3.3	3,742,100,000	811,204,370
गैर–मौजूदा देनदारियां			
(क) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	5	466,192,595	314,446,870
चालू देनदारियां			
(क) व्यापार देनदारियां	6	1,302,198,745	921,672,095
(ख) अन्य चालू देयताएं	7	195,288,018	728,879,133
(ग) अल्पावधि प्रावधान	8	1,434,729	18,542,070
		1,498,921,492	**1,669,093,297**
योग		**25,194,644,540**	**17,187,970,519**
परिसंपत्तियां			
गैर–मौजूदा परिसंपत्तिया			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) वास्तविक परिसंपत्तियां	9ए	1,351,303,848	1,435,085,035
(ii) मुख्य काम प्रगति में	9बी	22,912,639,804	14,880,333,737
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	10	401,146,045	391,254,415
		24,665,089,697	**16,706,673,187**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकद और नकद के समकक्ष	11	89,613,439	85,953,418
(ख) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	439,941,405	395,343,914
		529,554,843	**481,297,332**
योग		**25,194,644,540**	**17,187,970,519**
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2013

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक

ह0/–
(डा. एस. सी. खुंटिआ)
निदेशक

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18.09.2013

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड

31 मार्च, 2013 वर्ष तक का लाभ व हानि विवरण			
विवरण	**नोट संख्या**	**31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए**
व्यय		**₹**	**₹**
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	9ए	81,674,712	33,695,276
(ख) अन्य खर्चे	13	1,642,483	2,728,202
(ग) स्टांप शुल्क	13ए	5,182,704	9,317,435
कुल व्यय		**88,499,899**	**45,740,913**
(हानि) अप्रवाद और असाधारण मदों और करों से पूर्व		(88,499,899)	(45,740,913)
अप्रवाद मदें–स्टांप शुल्क (नोट नं. 14.7 (iv) का संदर्भ लें)		-	21,016,693
कर व्यय			
पूर्व वर्षों से संबंधित वर्तमान कर व्यय		-	-
(हानि) लगातार प्रचालनों से		(88,499,899)	(24,724,220)
(हानि) वर्ष के लिए		(88,499,899)	(24,724,220)
(हानि) प्रति शेयर (10 रूपये का प्रति शेयर)	15.3		
(क) मूलभूत	15.3.ए	(0.04)	(0.02)
(ख) मिश्रित	15.3.बी	(0.04)	(0.02)
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18.09.2013

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक

ह0/–
(डा. एस. सी. खुंटिआ)
निदेशक

ह0/–
(एस. आर. हास्यागर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18.09.2013

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट	विवरण
1.	**कॉर्पोरेट जानकारी** इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड 16 जून, 2004 को आईओसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर ओआईडीबी तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के स्टॉक का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवालों, गोदाममालिकों, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों,ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव्स, मिश्रण, तैयारी और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।
2.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**
2.1	**लेखांकन का आधार** वित्तीय विवरण, लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में निर्दिष्ट भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मानकों के अनुसार, तैयार किए गए हैं।
2.2	**अनुमानों का उपयोग** वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं जिसके अनुसार प्रबंधन वर्ग को प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन और प्रस्तुत वर्षों कें राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों को प्रभावित करता है।
2.3	**स्थायी परिसंपत्तियां / अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां** स्थायी परिसंपत्तियां सभी स्थायी परिसंपत्तियां, कम संचित मूल्य–ह्रास पर बताई जाती हैं। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिष्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने तक के अन्य सभी आरोपित खर्च शमिल हैं। स्थायी पटटे और साथ ही साथ 99 वर्षो से अधिक के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन के रूप में माना गया है । 99 वर्षों या इससे कम के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को पटट्धृत जमीन माना गया है । अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां मानी जाती हैं यदि : - यह संभावना हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे।

नोट	विवरण
	और
	- परिसंपत्तियों की लागत / उचित मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सकता है।
2.4	**मूल्य–ह्रास और ऋण मुक्ति**
	मूल्य–ह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
	जमीन की लागत को वर्षों की संख्या या उसके भाग के अनुसार पटटे् की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
2.5	**राजस्व मान्यता : निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आंबटन और खर्चों का संविभाजन**
i)	स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वस के लिए परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और कंपनी ने अभी व्यवसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखा मानक 26 का अनुपालन करने के लिए लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों, परियोजना पर जो खर्च आरोपित नहीं है, लाभ तथा हानि खाते में परिवर्तित कर दिए हैं।
ii)	परियोजना विकास, संभाव्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, ठेकेदारों को किए गए भुगतान (भूमिगत / भूमि के ऊपर), विज्ञापन खर्चे, बीमा किस्तें, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई किए गए डीजल की कीमत आदि खर्चे 'निमार्ण कार्य प्रगति' पर है, के रूप में दिखाए गए हैं।
iii)	अप्रत्यक्ष / प्रासंगिक खर्चे (प्रधान कार्यालय के खर्चों सहित) सभी तीनों परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्यक्ष खर्च के अनुपात में बांटे गए हैं ।
iv)	बीमा दावों का हिसाब, दावे के निपटान के समय किया जाता है।
2.6	**प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय**
	कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा, ऐसी अधिक संभावना हो तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सके। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती है तथा वर्ष के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर दायित्व की राशि निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर इनका पुनर्वलोकन किया जाता है तथा प्रबंधन के अच्छे अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
	आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्गत हुई हैं तथा जिनके होने की पुष्टि भविष्य की घटनाओं जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगीं, के घटित होने या ना होने पर होगीं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जहां संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व जिसके कारण संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहां दायित्वों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन न किया जा सकता हो।
	जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो, तब कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।
2.7	**परिसंपत्तियों की क्षति**
	प्रबंधक वर्ग समय–समय पर बाह्य तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहां किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविष्य नकदी प्रवाह के वर्तमान

नोट	विवरण
	मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते हैं। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव लागत, रखाव राशि को जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन घटाकर की जाती है, को पार नहीं करती, यदि कोई क्षतिगत हानि नहीं मानी गई है।
2.8	**प्रचालन पट्टे (ऑपरेटिंग लीज़)**
	ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्टे पर देने वाले के अधिकृत कर दिये जाते हैं, प्रचालन पट्टे माने जाते हैं। प्रचालन पट्टा व्यवस्था के अधीन पट्टा भुगतान, पट्टा अवधि पर एक "स्ट्रेट लाइन" के आधार पर 'निर्माण कार्य में प्रगति' शीर्ष के अधीन खर्च के रूप में देखा जाता है।
2.9	**कर्मचारी हित**
	आज की तारीख में कंपनी के वेतन पत्रक पर कोई कर्मचारी नहीं था और इस समय कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संभाला हुआ है। इसलिए, "कर्मचारी हित" पर लेखांकन मानक–15 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
2.10	**विदेशी मुद्रा व्यवहार तथा अनुवाद**
	विदेशी मुद्रा में लेन–देन, लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए गए हैं । विदेशी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया मुद्रा मद तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में अनुवादित किए जाते हैं। विदेशी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से उद्गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी स्थाई परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित माना जाता है।
2.11	**आय पर कर**
	आयकर में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं, विवकेशील विचार के अधीन, अवधि अंतर के भविष्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर की दर से आंकी जाती हैं। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।
2.12	**प्रति शेयर अर्जन**
	प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन, अवधि के दौरान बकाए इक्विटी शेयर की संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि से भाग करके किया जाता है । तनूकृत अर्जन प्रति शेयर के परिकलन के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि तथा बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनूकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा ।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 3 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	शेयरों की संख्या	₹	शेयरो की संख्या	₹
(क) **प्राधिकृत** 10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर	2,39,70,00,000	23,97,00,00,000	2,39,70,00,000	23,97,00,00,000
(ख) **निर्गत/अभिदत्त/प्रदत्त** 10 रूपये प्रति इक्विटी शेयर	1,96,92,68,020	19,69,26,80,200	1,45,09,97,583	14,50,99,75,830
योग	**1,96,92,68,020**	**19,69,26,80,200**	**1,45,09,97,583**	**14,50,99,75,830**

विवरण			
विवरण	**प्रारंभिक बकाया**	**वर्ष के दौरान नए जारी**	**अंतिम बकाया**
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2013 वर्ष के अंत में			
– शेयरों की संख्या	1,45,09,97,583	51,82,70,437	1,96,92,68,020
– रकम (रूपये)	14,50,99,75,830	5,18,27,04,370	19,69,26,80,200
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	51,92,54,076	93,17,43,507	1,45,09,97,583
– रकम (रूपये)	5,19,25,40,760	9,31,74,35,070	14,50,99,75,830

नोट 3.2 5% शेयरों से अधिक रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित प्रतिशत	धारित शेयरो की संख्या	शेयरो की उस श्रेणी में धारित प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	1,96,92,68,020	100%	1,45,09,97,583	100%

नोट 3.3 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

31 मार्च, 2013 को, दिनांक 31.3.2012 तक ओआईडीबी से प्राप्त रकम में से, रू. 3,742,100,000/– रूपये के इक्विटी शेयर अभी भी आंवटित किए जाने हैं और "शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन" के अधीन दिखाया गया है। इन शेयरों के आवंटन के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 4 भंडार और अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	₹	₹
(घाटा) लाभ और हानि विवरणी में प्रारंभिक बकाया	(11,67,49,848)	(9,20,25,628)
जमाः (हानि) वर्ष के लिए	(8,84,99,899)	(2,47,24,220)
योग	**(20,52,49,747)**	**(11,67,49,848)**

नोट 5 अन्य दीर्घकालिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	रूपये	रूपये
ठेकेदारों से रोकी हुई राशि *	46,61,92,595	31,44,46,870
योग	**46,61,92,595**	**31,44,46,870**

***सभी तीनों साइटों के ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान 31.03.2014 से पूर्व होना संभव नहीं है और तदनुसार दीर्घकालिक देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

नोट 6 व्यापारिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	रूपये	रूपये
व्यापारिक देनदारियां	1,30,21,98,745	92,16,72,095
योग	**1,30,21,98,745**	**92,16,72,095**

नोट 7 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	रूपये	रूपये
अन्य देनदारियां		
(i) वैधानिक प्रेषण (रोके हुए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य संविदा कर)	4,83,95,152	8,00,79,824
(ii) अन्य (रॉक निपटान के प्रति समायोज्य रकम)	1,55,16,422	2,00,00,000
(iii) धरोहर जमा/ईएमडी	14,84,564	25,68,637
(iv) ठेकेदारों से रोकी हुई राशि	12,98,91,880	10,77,88,172
(v) एमएसईजैडएल भूमि के लिए भुगतान	-	51,84,42,500
योग	**19,52,88,018**	**72,88,79,133**

नोट 8 अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	रूपये	रूपये
ईएनसी भूमि किराए के लिए प्रावधान	6	5
खर्च हेतु लेनदार	14,34,723	1,85,42,065
योग	**14,34,729**	**1,85,42,070**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 9 अचल परिसंपत्तियां

ए.	मूर्त परिसंपत्तियां	कुल संपत्तियां				संचित मूल्य ह्रास				शुद्ध कुल संपत्तियां	
		1 अप्रैल, 2012 को बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन	31 मार्च, 2013 को बकाया	1 अप्रैल, 2012 को बकाया	मुल्यह्रास/ परिशोधन	संपत्तियों के निपटान पर विलोपन	31 मार्च, 2013 को बकाया	31 मार्च, 2013 को बकाया	31 मार्च, 2012 को बकाया
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
	(क) भूमि पट्टाधृत	1,50,63,84,931	6,770	35,87,744	1,50,28,03,957	7,24,92,075	8,12,66,185	-	15,37,58,260	1,34,90,45,697	1,43,38,92,856
	(ख) फर्नीचर और फिक्स्चर	96,980	8,92,693	-	9,89,673	52,592	60,604	-	1,13,196	8,76,477	44,388
	(ग) कार्यालय उपकरण	8,92,616	5,21,137	17,924	13,95,829	2,70,896	1,10,910	9,083	3,72,723	10,23,106	6,21,720
	(घ) कंप्यूटर	17,69,444	69,510	-	18,38,954	12,43,374	2,37,013	-	14,80,387	3,58,567	5,26,070
	योग	**1,50,91,43,971**	**14,90,110**	**36,05,668**	**1,50,70,28,413**	**7,40,58,937**	**8,16,74,712**	**9,083**	**15,57,24,566**	**1,35,13,03,848**	**1,43,50,85,035**
	31 मार्च, 2012 को	**89,85,56,903**	**61,78,78,449**	**72,91,380**	**1,50,91,43,971**	**4,04,49,128**	**3,36,95,276**	**85,467**	**7,40,58,937**	**1,43,50,85,035**	**85,81,07,775**

बी.	पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 9बी(i) का संदर्भ लें)	31 मार्च, 2013 को बकाया	31 मार्च, 2012 को बकाया
		₹	₹
	चरण–I		
	- विशाखापट्टनम कैवर्न परियोजना	8,44,95,01,703	7,30,80,74,797
	- पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना @	9,18,65,04,765	4,52,91,44,085
	- मंगलौर कैवर्न परियोजना @	5,15,96,93,232	3,00,13,28,487
	चरण–II डीएफआर	11,69,40,104	4,17,86,368
	योग	**22,91,26,39,804**	**14,88,03,33,737**

@ प्रधान कार्यलय खर्चे भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट सं. 9 बी (i) : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	31.03.2013 को	31.03.2012 को
निर्माण कार्य प्रगति पर	₹	₹
(इसमें अनआवंटित पूंजीगत खर्चे, कार्य स्थल पर सामाग्री शामिल है)		
भंडारण चरण–1		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	4,31,63,34,906	4,22,11,57,918
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	3,12,92,09,034	2,11,41,91,653
परियोजना प्रबंधन परामर्श	86,80,23,977	84,84,20,785
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	1,63,16,780	1,63,16,780
अन्य परियोजना खर्चे	2,41,66,208	1,80,65,098
प्रधान कार्यालय खर्चे	9,54,50,798	8,99,22,563
योग	**8,44,95,01,703**	**7,30,80,74,797**
पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	5,95,83,83,006	3,57,81,31,572
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	1,13,66,39,733	2,50,00,000
परियोजना प्रबंधन परामर्श	1,06,28,57,423	86,83,51,518
अध्ययन एवं सर्वेक्षण पादुर	1,22,65,256	1,22,65,256
अन्य परियोजना खर्चे *	96,28,58,206	1,44,51,440
प्रधान कार्यालय खर्चे	5,35,01,141	3,09,44,298
योग	**9,18,65,04,765**	**4,52,91,44,085**
मंगलौर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	3,41,78,18,899	2,19,40,89,996
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	86,26,73,448	6,93,23,883
परियोजना प्रबंधन परामर्श	82,17,15,371	69,40,57,258
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	1,35,58,986	1,35,58,986
अन्य परियोजना खर्चे	94,77,271	63,02,645
प्रधान कार्यालय खर्चे	3,44,49,257	2,39,95,719
योग	**5,15,96,93,232**	**3,00,13,28,487**
भंडारण चरण–II		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	10,33,38,545	3,11,72,400
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	83,67,795	60,85,487
अन्य परियोजना खर्चे	52,33,764	45,28,481
योग	**11,69,40,104**	**4,17,86,368**
सकल निर्माण कार्य प्रगति पर	**22,91,26,39,804**	**14,88,03,33,737**

* नोट : पाइपलाईन पर रूपये 89.68 करोड़ के खर्चे शामिल हैं

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 10 दीर्घकालिक ऋण एवं पेशगियां

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	₹	₹
धरोहर जमा	2,03,69,274	1,04,77,644
सरकारी प्राधिकारियों के पास बकाया – सेनवेट क्रेडिट प्राप्य	38,07,76,771	38,07,76,771
योग	**40,11,46,045**	**39,12,54,415**

नोट 11 नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	₹	₹
हस्तगत नकदी	19,960	19,926
बैंको के पास बकाया – ऑटोस्वीप चालू खाता	8,95,93,479	8,59,33,492
योग	**8,96,13,439**	**8,59,53,418**

नोट 12 अल्पकालिक ऋण एवं पेशगियां

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	₹	₹
पूर्वदत्त व्यय – असुरक्षित, अच्छा माना गया	14,98,243	43,70,327
अन्य ऋण एवं पेशगियां – असुरक्षित अच्छा माना गया		
टीडीएस प्राप्य *	1,05,41,883	44,78,134
नकद या किसी प्रकार में वसूली योग्य पेशगियां	10,24,66,690	1,77,953
आरओयू प्राप्ति और डीजल आपूर्ति के लिए अग्रिम	34,40,129	2,07,86,367
लामबंदी अग्रिम	28,35,02,640	32,18,49,840
भूमि के प्रति अग्रिम – पादुर	3,42,14,500	3,42,21,270
शेयरों पर स्टांप शुल्क हेतु अग्रिम	42,77,320	94,60,024
योग	**43,99,41,405**	**39,53,43,914**

* रूपये 38,10,397 का मिलने वाला टीडीएस प्राप्य, भुगतान किए गए अधिक टीडीएस के प्रति है। वापसी दावा दर्ज़ कर दिया गया है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बने नोट्स

नोट 13 अन्य खर्चे

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
कानूनी और पेशवर शुल्क	63,963	3,41,583
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नीचे दिया गया नोट(i) देखें)	2,52,810	2,95,385
खाते से हटाई गई अचल संपत्तियां	8,841	80,785
कार्यालय खर्चे	13,16,869	20,10,449
योग	**16,42,483**	**27,28,202**

नोट 13(i) : लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
लेखा परीक्षकों के भुगतान में समाविष्ट		
लेखा परीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखा परीक्षा	1,68,540	1,68,540
अन्य सेवाओं के लिए	84,270	1,26,845
		-
योग	**2,52,810**	**2,95,385**

नोट 13ए स्टॉप डयूटी खर्चों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	51,82,704	93,17,435
योग	**51,82,704**	**93,17,435**

नोट 14 वित्तीय विवरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना

14.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, की हद तक)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	₹ (लाख में)	₹ (लाख में)
i) **आकस्मिक देनदारियां** इसमें ग्रीन बेल्ट के विकास और सीएसटी अदायगी के प्रति देनदारी शामिल है	611	611
ii) **पूंजी प्रतिबद्धताएं** पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, बकाया चल रहे सभी मुख्य ठेकों की अनुमानित राशि	85,626	1,49,397

iii) जून, 2011 में, अर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने रूपये 67,183 लाख की अनुमनित लागत के प्रति (सितंबर 2005 के मूल्यों पर) विशाखापट्टनम परियोजना के लिए रूपये 1,03,800 लाख की संशोधित अनुमानित लागत अनुमोदित की थी। लागत में वृद्धि, विनिमय दर विभिन्नताएं, क्षमता में बढ़ोतरी, विशाखापट्टनम की साइट की स्थिति और तकनीकी सुधारों का ख्याल रखने के लिए किए गए परिवर्धन/विलोपन सांविधिक करों में वृद्धि, मालिकों की लागत अदि के कारण लागत में संशोधन किया गया। परन्तु इसमें सुरक्षा प्रबंधों के खर्चे शामिल नहीं है।

14.2 विदेशी मुद्रा में व्यय (भारतीय मुद्रा समतुल्य)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	3.60	11.04
अन्य मामले (मंगलौर एवं चरण – II में ठेकेदारों को यूएस डॉलर और यूरो में)	350.05	शून्य

14.3 विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
उपार्जन	शून्य	शून्य

14.4 निर्माण की अनुमानित लागत

i) निर्माण की अनुमानित लागत निर्धारण निर्माण पूरा होने तक परियोजना पर पूरे समय के दौरान किए जाने वाले सभांवित भूमिगत सिविल कार्य, भूमि के ऊपर प्रक्रियां सुविधाएं, पाईपलाईन कार्य अदि के लिए हस्ताक्षरित ठेके पर आधारित है जिसमें भूमि की कीमत, सामग्री, सेवाएं और अन्य संबंद्ध ओवरहेड्स शामिल हैं।

ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2013 को विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर परियोजनाओं पर फेस 1 के लिए निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं। तुलन पत्र की तिथि तक खर्च किए गए प्रत्यक्ष लागत और आबंटन लागत 'निर्माण कार्य प्रगति पर' के अधीन दिखाई गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए खर्चे, जो परियोजनाओं के लिए आरोपित नहीं है, लाभ व हानि लेखा में लिए गए हैं।

iii) तुलन पत्र की तारीख अर्थात 31 मार्च, 2013 को राजकोट (2.5 एमएमटी), पादुर (5 एमएमटी), चंडीखोल (2.5 एमएमटी) और बीकानेर (2.5 एमएमटी) चारों स्थानों पर 12.5 एमएमटी क्षमता हेतु चरण II की परियोजनाओं के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई थी।

14.5 i) कर्नाटक सरकार के खान और भू–विज्ञान विभाग ने पादुर एवं मंगलौर परियोजनाओं के नियमों के अनुसार विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रायल्टी का भुगतान करने के बाद उपयुक्त विक्रेताओं को खुदाई सामग्री को बेचने की कंपनी को अनुमति दी थी।

ii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने सूचित किया कि रॉक मलबे को हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाईसेंस लेना ज़रूरी है। तदनुसार , कंपनी ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग, से उत्खनन लाईसेंस प्राप्त किया। अवार्ड किये गए कार्यों के आधार पर, पादुर के 2 स्थलों से रॉक के निपटान का कार्य वर्ष के दौरान प्रारंभ हो गया है।

iii) मंगलौर में, एक बोलीदाता द्वारा दाखिल रिट याचिका पर माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम स्थगन आदेश दिया था। जिसमें कहा गया कि उन्हें कंपनी की मंगलौर साइट से रॉक को हटाने के लिए मंगलौर विशेष आर्थिक जोन द्वारा अनुमति दी गई है। कंपनी ने इस आदेश के विरूद्ध, जो लंबित था, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी। इसी बीच, कंपनी नें एमएसईजैड के साथ रॉक मलबे को बराबर हिस्सा करने के बारे में करार किया। परिणामस्वरूप, कंपनी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दाखिल अपील दिनांक

30 अगस्त, 2012 को वापिस ले ली।

14.6 विशाखापट्टनम परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि अक्टूबर 2013 तक बढ़ा दी गई है। दिनांक 7 अप्रैल 2011 को विशाखापट्टनम कैवर्न ए1 में रॉक गिरने की दुर्घटना हुई थी साइट पर मरम्मत/ बहाली और मज़बूत बनाने की गतिविधियों पर रूपये 1036 लाख की अतिरिक्त राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। रूपये 1277 लाख की अतिरिक्त राशि का बीमा दावा दर्ज किया जा चुका है और दावे के प्रति बीमा कंपनी से रूपये 450 लाख की तदर्थ राशि प्राप्त हो गई है। बीमा कंपनी से ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त वर्ष के खातों में स्वीकार कर लिया जाएगा। मरम्मत और कार्य की बहाली के लिए वर्ष के दौरान किए गए खर्च की राशि सीडब्ल्यूआईपी में शामिल की गई है और कार्य प्रगति पर है। स्थगित कार्य अवधि के दौरान पुनः प्रारंभ हो गए हैं।

14.7 i) विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से ली गई 38 एकड़ भूमि में से कंपनी ने दिनांक 23.5.2011 के अपने पत्र के माध्यम से 1 एकड़ व्यर्थ पट्टाधृत भूमि वापिस कर दी है। कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि को वीपीटी ने स्वीकार कर लिया है। वीपीटी द्वारा ली गई 1 एकड़ की भूमि के लिए अनुपातिक पट्टा प्रीमियम के आधार पर रूपये 70.79 लाख कंपनी के खाते में प्राप्य दर्शाए गए हैं।

ii) मंगलौर परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड (एमएसईजैडएल) से प्राप्त कर ली है। 31.03.2013 तक पूरी भूमि की कीमत जिसमें सड़क को मोडने हेतु 350 लाख रूपये की राशि शामिल है एम एस ई जैड एल को चुका दी गई है और पूंजीकृत कर ली गई है और लीज की बकाया अवधि के लिए परिशोधित कर दिया है।

iii) कंपनी के पादुर परियोजना के लिए एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) को 3,252.11 लाख रूपये जमा कराए थे जिसे पूर्व वर्ष के अग्रिम के रुप में लिया गया था। केआईएडीबी ने 138.57 एकड़ भूमि पहले ही सौंप दी है। जिसे केआईएडीबी द्वारा इंगित 21 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर 2909 लाख रुपये की लागत पर कैपिटलाइज किया गया है इसमें विस्थापित परिवारों को दी गई राहत और पुनर्वास सहायता को शामिल करते हुए 342 लाख रुपये की बकाया राशि को जिसमें स्टांप शुल्क के रूपये 34 लाख भी शामिल हैं, केआईएडीबी से अभी भी अर्जित बकाया भूमि के प्रति अग्रिम के रुप में माना जाए, जारी रखा गया है जिसे परियोजन के लिए पर्याप्त माना गया है ।

14.8 शेयर प्रमाण पत्रों पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 2011–12 के दौरान समस्त प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल रूपये 239 लाख का भुगतान किया गया। जारी/आबंटित किये जाने वाले बकाया शेयरों पर रूपये 43 लाख का स्टांप शुल्क का तदनुसार, "ऐडवांस में स्टांप शुल्क का भुगतान" के रूप में दिखाया गया है।

14.9 31.3.2012 को दिखाई गई शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 17,801 लाख रूपये और मई 2011 में आवंटित 47930 लाख रूपये शामिल हैं उपर्युक्त आवंटन के शेयर प्रमाण पत्र आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर जारी हो जाने चाहिए क्योंकि स्टांप शुल्क के भुगतान करने का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2011 के बाद लिया गया था। बोर्ड अनुमोदन के अनुसार, समस्त प्राधिकृत पूंजी पर स्टांप शुल्क का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया गया था। और उक्त दोनो आवंटनों के शेयर प्रमाण पत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए हैं। आवंटन के 90 दिनों के बाद शेयर प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को माफी के लिए अप्रेल 2012 में कंपनी लॉ बोर्ड के साथ एक स्वैच्छिक याचिका दायर की गई है जो अभी भी लंबित है।

14.10 भारत में विभिन्न स्थानों पर विकसित सुविधाओं में कंपनी कच्चे तेल के लिए वेयरहाउसिंग सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी 2011 में सेवा कर प्राधिकरण में पंजीकृत की गई और इसलिए सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है। एक प्रमुख सलाहकार की राय के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने रुपये 4,694 लाख की सेनवेट क्रेडिट रकम (31 मार्च 2010 तक रूपये 2,499 लाख को मिलाकर) क्रेडिट की थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने दिनांक 31.3.2012 को रुपये 3,807 लाख की सेनवेट क्रेडिट योग्य रकम पुनः परिकलित की और खातों में दर्ज किया और रूपये 839 लाख की सेनवेट क्रेडिट रकम को खातों में रिर्वस किया। लेखा बहियों के साथ मिलान करके सेवा कर रिटर्न संशोधित की जानी बाकी है। दिनांक 01.03.2011 की अधिसूचना संख्या 3/2011 के बाद कंपनी ने परियोजनाओं की स्थापना के लिए निर्माण

गतिविधियों हेतु सेनवेट क्रेडिट दावा करना बंद कर दिया।

14.11 मंगलौर में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) का को–डवलपर बनने का अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त 2010 में दिया गया। सभी अनुमोदन मंगलौर के लिए प्राप्त किए गए। पादुर में, एफटीडब्ल्यूजैड बनाने का आवेदन अनुमोदनों के बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर लिया गया है।

14.12 नोट संख्या 5, "ठेकेदारों से रोक" में, विनिर्दिष्ट रुपये 4,662 लाख की प्रतिधारण राशि परिवर्तनीय मदों हेतु किए गए कार्य की कीमत के 5 प्रतिशत के प्रति है, जिसका भुगतान ठेकों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किया जाएगा। प्रतिधारण राशि का लेखों में देय के अनुसार प्रावधान किया गया है।

14.13 31 मार्च 2013 को कंपनी का दैनिक कार्य प्रतिनियुक्ति पर तैनात 12 कार्मिकों एचपीसीएल (8), ओएनजीसी (2), आईओसीएल (1) और गेल(1) द्वारा संभाला गया और उनके छुट्टी– वेतन, पेंशन अंशदान की अदायगी उनके दावों की प्राप्ति पर उनकी संबंधित पेरंट कंपनियों को आनुपातिक आधार पर की जाती है ।

14.14 अन्य कंपनियों से जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य है, देय रकम सहित प्राप्त होने वाले रोकड़ अथवा प्रकार अथवा मूल्य के प्रकार वसूली योग्य अग्रिम शून्य रूपये हैं (पूर्व वर्ष – शून्य रूपये)।

14.15 i) कंपनी ने वर्ष 2011–12 के दौरान 65.42 लाख रूपये की तुलना में 2012–13 के दौरान "स्वीप–इन–स्वीप आउट" लेखा में उपलब्ध बकायों से रूपये 56.78 लाख का ब्याज अर्जित किया है।

ii) मूल्य ह्रास वर्ष 2011–12 के दौरान रूपये 336.95 लाख की राशि की तुलना में 2012–13 के दौरान रूपये 450.33 लाख (जिसमें सभी तीनों परियोजनाओं हेतु पट्टाधृत भूमि पर अमोरटाइजेशन शमिल है) को लाभ व हानि खाता को चार्ज किया है।

iii) तद्नुसार पट्टा विलेख के पंजीकरण के बाद, वर्ष के दौरान वास्तविक पट्टा विलेख अवधि हेतु सभी तीनों परियोजनाओं के लिए परिशोधन की पुनः गणना की गई है, 31.03.2012 तक का रूपये 386.63 लाख का अतिरिक्त परिशोधन 2012–13 के दौरान लाभ और हानि खाता विवरण में चार्ज किया गया है।

14.16 आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए प्रावधान रखना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके आगे, आस्थगित कर संपत्ति भी मान्य नहीं की गई क्योंकि ठोस सबूत के साथ कोई आभासी निश्चितता नहीं है जिससे पर्याप्त भविष्य की आय उपलब्ध होगी जिसे आस्थगित कर संपत्ति में समायोजित किया जा सके।

14.17 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किया गया है और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के मामले में ऐसी पार्टियों की इस हद तक पहचान की गई है जो 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है। कंपनी ने ऐसे उद्यमों/सप्लायर्स को लिखा है और उनके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होने के बारे में उनके सप्लायर्स से अभी तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के सप्लायर्स प्रोफाईल को देखने से इस मामले में देयता शून्य/नगण्य है।

14.18 लघु औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली देय राशि कुछ भी नहीं है। ठेकेदारों/सेवा प्रदान करने वालों के खातें, चाहें डेबिट हो अथवा क्रेडिट, पुष्टि, समाधान और उनके परिणामी समायोजन, यदि कोई हैं, का विषय है।

14.19 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के तहत कंपनी ने निम्नलिखित संरचना के साथ लेखा परीक्षा समिति गठित की है:

श्री राजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ... अध्यक्ष

श्री एल. एन. गुप्ता, सचिव, ओआईडीबी ... सदस्य
श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ... सदस्य

14.20 ठेकेदारों के बकाए पुष्टि के अधीन हैं।

14.21 वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए संशोधित अनुसूची VI, 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी है। इससे वित्तीय विवरणों में बनाए गए प्रकटीकरण और प्रस्तुती महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। पूर्व वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, फिर से समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट 15 : लेखांकन मानकों के तहत खुलासे

नोट	विवरण	
15.1 15.1 ए	**संबंधित पार्टी लेनदेन** **संबंधित पार्टियों के ब्यौरेः**	
	रिश्ते का विवरण	**संबंधित पार्टियों के नाम**
	होल्डिंग संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) कंपनी में 100% इक्विटी होल्ड करती है।
	प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	श्री राजन के. पिल्लई, सीईओ। सीईओ को कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अधीन आईएसपीआरएल के दैनिक प्रबंधन कार्य सौंपे गए है। इन्हें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। सीईओ बोर्ड के सदस्य नहीं है। **निदेशक मंडल (पदेन)** श्री जी. सी. चतुर्वेदी, अध्यक्ष (31.01.2013 तक) श्री विवेक रे, अध्यक्ष (08.02.2013 से) श्री सुधीर भार्गव, निदेशक श्री सुभाष खुंटिआ, निदेशक (08.09.2012 से) श्री एल. एन. गुप्ता, निदेशक–प्रभारी श्री अरूण कुमार, निदेशक–प्रभारी (28.02.2013 तक)

15.1.बी 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन से ब्यौरे और 31 मार्च, 2013 को बकाया शेष :

विवरण	होल्डिंग संगठन (ओआईडीबी)	केएमपी (सीईओ)	योग
	₹	₹	₹
वित्त (ऋण और नकद या प्रकार में इक्विटी योगदान)	3,74,39,04,367 -81,30,08,737		3,74,39,04,367 -81,30,08,737
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन ठेके	32,37,609 -35,59,252		32,37,609 -35,59,252
नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष के हैं।			

15.1.सी निदेशक मंडल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। निदेशक मंडल का पारिश्रमिक शुन्य है (पूर्व वर्ष – शुन्य)

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने के नोट्स

15.1.डी	संबंधित पार्टियों का शेष बकाया/लेनदेन				
	विवरण	तेल उद्योग विकास बोर्ड		हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. *	
		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
		₹	₹	₹	₹
	i) वर्ष के दौरान लेनदेन				
	कंपनी की ओर से किए गए खर्चे	18,04,367	18,04,367	1,55,95,808	1,27,72,143
	ii) वर्ष के अंत में बकाया	3,74,21,00,000	81,12,04,370	33,17,092	73,15,248
	योग	**3,74,39,04,367**	**81,30,08,737**	**1,89,12,900**	**2,00,87,391**
	* केएमपी (सीईओ) औार एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए अन्य कर्मचारियों के वेतन हेतु एचपीसीएल को अदायगी की जाए।				

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹
15.2 आय प्रति शेयर		
15.2 ए मूलभूत		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाली	(8,84,99,899)	(2,47,24,220)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	1,96,92,68,020	1,45,09,97,583
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
लगातार प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मूल	(0.04)	(0.02)
15.2 बी मिश्रित		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाली	(8,84,99,899)	(2,47,24,220)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – मिश्रित हेतु	2,34,34,78,020	1,53,21,18,020
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
लगातार प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मिश्रित	(0.04)	(0.02)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
	₹	₹	₹	₹
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(हानि) असाधरण मदों और कर से पूर्वः	(88,499,899)		(24,724,220)	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्य ह्रास और परिशोधन	81,665,629		33,609,809	
वर्ष के दौरान समाप्त अचल परिसंपत्तियां	3,605,668		7,291,380	
वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	(18,426,080)		992,421,285	
कार्य पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन (हानि)		(21,654,682)		1,008,598,254
शुद्ध नकद (प्रयोग में) प्रचालन गतिविधियां (ए)		**(21,654,682)**		**1,008,598,254**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	(1,490,110)		(617,878,449)	
कार्य पूंजी प्रगति में वृद्धि	(8,032,306,068)		(5,839,373,870)	
तीसरे पक्ष को दिए गए अग्रिम/ऋण	(54,489,120)		(174,066,595)	
		(8,088,285,297)		(6,631,318,913)
शुद्ध नकद (प्रयोग में) निवेश गतिविधियां (बी)		**(8,088,285,297)**		**(6,631,318,913)**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
इक्विटी शेयरों को जारी करने से प्राप्ति	8,113,600,000		5,701,204,367	
		8,113,600,000		5,701,204,367
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)		**8,113,600,000**		**5,701,204,367**
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी)		3,660,021		78,483,708
वर्ष के प्रांरभ में नकदी और नकदी के समतुल्य		85,953,418		7,469,710
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी के समतुल्य		**89,613,439**		**85,953,418**

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते जेडीए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 015377एन

ह0/–
(नितिन अग्रवाल)
साझेदार
एम नं. 506909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2013

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(आर. के. सिंह)
निदेशक

ह0/–
(डा. एस. सी. खुंटिआ)
निदेशक

ह0/–
(एस. आर. हस्यागर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(राजन के. पिल्लै)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2013

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, उनके प्रोफेषनल बॉडी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से ऑडिट पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। ये कार्य दिनांक 18 सितंबर, 2013 की उनकी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की ओर से, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय बयानों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रुप से सांविधिक लेखा परीक्षण के वर्किंग पेपरों के उपयोग के बगैर किया गया है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कार्मियों की पूछताछ व लेखाकरण अभिलेखों के कुछ चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं आया है जो सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपूरण का कारण बने।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

ह0/–
(नयना ए. कुमार)
वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II ए
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.11.2013

Dr. M. Veerappa Moily,
Hon'ble Minister for Petroleum & Natural Gas
visited Mangalore Project

Smt. Panabaka Lakshmi,
Hon'ble Minister of State for Petroleum & Natural Gas
visited Vizag Project

Shri Vivek Rae, Secretary-MoP&NG
alongwith
Shri L. N. Gupta, Secretary OIDB
inspecting progress of Vizag Site

Dr. S. C. Khuntia, AS&FA-MoP&NG
inaugurating the Public Road Diversion at Padur

Shri Sudhir Vasudeva, Chairman-ONGC
at ISPRL's Padur site office

9th AGM of ISPRL

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

Head Office : OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector - 73, Noida - 201 301 (U.P.) India
Registered Office : 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi - 110 001